राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.6(13)खान/ग्रुप–1/2015 जयपुर, दिनांक: **20.06.2019**

–: आदेश :–

श्री राजेन्द्र सिंह बलारा, तत्कालीन खनि अभियंता, मकराना जिला नागौर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 154/15 में प्रथम दृष्टता लिप्त पाये जाने पर कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ–2(2)(45)का./क–3/शिकायत/15 दिनांक 19.11.2015 के द्वारा निलम्बित किया गया था।

तत्पश्चात् प्रकरण मे राज्य सरकार द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह बलारा, तत्कालीन खनि अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलम्बन से बहाल किये जाने के आदेश क्रमांक एफ–2(2)(45)का./क–3/शिकायत/15 पार्ट दिनांक 08.04.2019 से जारी किये गये है। उक्त आदेश के कम में श्री बलारा द्वारा दिनांक 09.04.2019 को निदेशालय,खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर में उपस्थिति दी।

श्री राजेन्द्र सिंह बलारा का पदस्थापन खनि अभियन्ता (सतर्कता), खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटा के रिक्त पद पर एतदद्वारा किया जाता है।

श्री राजेन्द्र सिंह बलारा, तत्कालीन खनि अभियंता की निलम्बन अवधि का नियमन इनके विरूद्व न्यायालय में लम्बित प्रकरण के निर्णयानुसार गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा।

कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग के आदेश एफ–2(2)(45)का./क–3/शिकायत/15 दिनांक 19.11.2015 से निलम्बन काल के दौरान श्री बलारा का मुख्यालय निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर रखा गया था। अतः श्री बलारा को खनि अभियंता (सतर्कता), खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटा में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(कमलेश सिंह चौहान)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

4. विशिष्ट सहायक, माननीय खान मंत्री, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. संयुक्त शासन सचिव, खान विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग को उनके आदेश क्रमांक एफ–2(2)(45)का./क–3/शिकायत/15 दिनांक 08.04.2019 के क्रम में।
5. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री बलारा को कार्यमुक्त कर उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
6 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, उदयपुर।
7 अतिरिक्त निदेशक (खान),खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटा।
8 अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटा।
9 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, कोटा।
10. श्री राजेन्द्र सिंह बलारा, खनि अभियंता, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति खनि अभियन्ता (सतर्कता), खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटा मे देकर इस विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे।
11 निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

Scanned with CamScanner